

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2016 — आषाढ़ 23, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 21 एवं 22 के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, भू-अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अभिहित करती है।

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act, 2013 (30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under section 21 and 22 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.